

परिपत्र संख्या-20 सामा-1(4)/2021(बन्दी मुलाकात)

प्रेषक,

उप महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।


दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

विषय:- मा0 जनप्रतिनिधियों (मा0 विधायकगण एवं मा0 समिति के सदस्यगण) द्वारा उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों से मुलाकात किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार एवं केन्द्रीय कारागार को सम्बोधित शासन के पत्र संख्या-464 जेएल/22-3-2021-59/2015 दिनांक 06 अप्रैल 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के पत्र द्वारा मा0 जनप्रतिनिधियों (मा0 विधायकगण एवं मा0 समिति के सदस्यगण) द्वारा उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों से मुलाकात किये जाने के सम्बन्ध में मुलाकात पुनः प्रारम्भ होने पर बंदियों से मुलाकात हेतु आने वाले मा0 जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्ट आचरण-व्यवहार करते हुए नियमानुसार मुलाकात कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासनादेश दिनांक 06 अप्रैल 2021 में दिये गये निर्देशों का सम्यक अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक एवं प्रभारी अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।


(वी0पी0 त्रिपाठी)

उप महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र पृ0संख्या- सामा-1(4)/2021(बन्दी मुलाकात)दिनांक: अक्टूबर 2021
प्रतिलिपि उप महानिरीक्षक, कारागार, समस्त परिक्षेत्रीय कार्यालय,
उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) गार्ड फाईल।

(वी0पी0 त्रिपाठी)

उप महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।